# कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / सी–एफ / 4111 / समन्वित विद्यालय / समीक्षा / पुन : संचालन / 2019 / दिनांक : 14.02.2019

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा (समस्त)

**अति आवश्यक**

विषय : आरटीई नार्म्स के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत समन्वित किये गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समीक्षा के संबंध में ।
प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 14 (4) शिक्षा–1 / 2014 पार्ट (2016) जयपुर दिनांक 22.01.2019 के कम में इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.19

– – – – –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक पत्र के कम में 2014–15 से 2017–18 तक समन्वित किये गये विद्यालयों की समीक्षा करने के संबंध में शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक : प. 14 (4) शिक्षा–1 / एकी. / 2014 पार्ट 2016 जयपुर दिनांक 22.01.2019 के द्वारा दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर छाया प्रति निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.19 के साथ संलग्न कर लिखा गया था कि पत्र में प्रदत निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वांछित प्रस्तव इस कार्यालय को भिजवावे लेकिन अभी तक आप द्वारा चाही गई सूचना नहीं भिजवाई है अतः आपको पुनः पाबन्द किया जाता है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.19 के द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र ही वाहक स्तर पर भिजवाये जाने की कार्यवाही करावें।

www.rajteachers.com

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :**

(1) शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 22.01.19 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है ।
(2) शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय, जयपुर को उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है ।
(3) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र में प्रदत निर्देशानुसार पालना कार्यवाही हेतु सतत मोनेटरिंग करते हुए अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्त सूचना संयुक्त निदेशक को समय पर उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करावें ।
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव संबंधित संयुक्त निदेशक को उनके द्वारा निर्देशित अनुसार आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर